भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2481

जिसका उत्तर मंगलवार 2 जनवरी, 2018 को दिया जाना है

विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देना

2481. श्री हरिओम सिंह राठौड़:

श्री रामचरण बोहरा:

श्री पी. नागराजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण हेतु इकाइयों की स्थापना के मद्देनजर सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु विदेशी कंपनियों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माता और ग्राहकों के लिए कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय देश में किस प्रकार के और कितने ई-वाहन सड़कों पर चल रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ङ): देश में हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के एक भाग के रूप में ₹795 करोड़ के परिव्यय से 01 अप्रैल, 2015 से आरम्भ करके 31 मार्च, 2017 तक की 02 वर्ष की अवधि के लिए फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों की तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम सरकार की हरित पहलों में से एक पहल है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। स्कीम चार प्रमुख क्षेत्रों नामतः प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास), प्रायोगिक परियोजना, चार्जिंग अवसंरचना और मांग सृजन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम आगे 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए बढ़ाई गई है।

मांग सृजन के फोकस क्षेत्र के अंतर्गत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के क्रेता को डीलर द्वारा खरीद मूल्य में एक्सईवी की खरीद के समय शुरुआती कटौती उपलब्ध कराई जाती है। हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए स्कीम के अंतर्गत अनुमत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम-इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध-13 पर दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है। तथापि, स्कीम के अंतर्गत एक्सईवी के विनिर्माताओं को फिलहाल कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

इस स्कीम के तहत, इसके अलग-अलग फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों को सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए इकाइयां स्थापित करने की दृष्टि से विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने विदेशी कंपनियों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

चूंकि फेम-इंडिया स्कीम वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू नहीं है, विभाग उन्हीं वाहनों का आंकड़ा एकत्रित करता है जिन्हें स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्रों में मांग प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। मांग प्रोत्साहन के जरिए बाजार सृजन का लक्ष्य, वाहन के सभी सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, यात्री चौपहिया वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। इस स्कीम की शुरुआत से, सरकार ने मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से अब तक 174760 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को सहायता उपलब्ध कराई है।

******